



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2013/फाल्गुन 3, 1934

No. 397]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2013/PHALGUNA 3, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2013

का.आ. 428(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा (3)(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 12-11-2012 की राजपत्र अधिसूचना का.आ. 2715(अ) के द्वारा मै. जे. एच. परविया (ट्रांसपोर्ट) प्रा. लि. बड़ौदा को अक्टूबर, 2012 से मार्च, 2013 के बीच दो जेनरेटर स्टेटर्स के मुद्रा पोर्ट (गुजरात) से नाभा पावर लिमिटेड, राजपुरा पंजाब तक अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार के साथ यातायात हेतु अनुमोदन प्रदान की थी। उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में “अक्टूबर, 2012 से मार्च, 2013 के बीच” अंकों और शब्दों के स्थान पर “अक्टूबर, 2012 से मई, 2013 के बीच” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आर.टी.-11042/90/2012-एम.वी.एल.]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2013

S.O. 428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government *vide* Gazette Notification No. S.O. 2715(E), dated 12-11-2012, had accorded approval to M/s. J. H. Parabia (Transport) Pvt. Ltd., Baroda for transportation of two Generator Stators during the period October, 2012 to March, 2013 from Mundra Port (Gujarat) to Nabha Power Ltd., Rajpura, Punjab with maximum safe laden weight/Gross Vehicle Weight and dimensions as specified therein. In the above Notification, in para 1, for the words, “during the period October, 2012 to March, 2013”, the words, “during the period October, 2012 to May, 2013” shall be substituted.

[F. No. RT-11042/90/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.